



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31032026-271445  
CG-DL-E-31032026-271445

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 214]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 30, 2026/चैत्र 9, 1948

No. 214]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 30, 2026/CHAITRA 9, 1948

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)  
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)  
अधिसूचना  
नई दिल्ली, 30 मार्च, 2026

सा.का.नि. 233(अ).— केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 139 की उपधारा (8क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 का निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (नौवां संशोधन) नियम, 2026 है।  
(2) ये प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।
- आयकर नियम, 1962, परिशिष्ट-2 में प्ररूप आईटीआर-अ के पश्चात निम्नलिखित प्ररूप आईटीआर-यू (अद्यतन विवरणी के लिए आईटीआर) रखे जाएंगे, अर्थात् :—

आ.क.वि.- यू	<b>भारतीय आयकर अद्यतन विवरणी</b> [व्यक्तियों के लिए सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से अड़तालीस महीने के भीतर आय/हानि को करने को अद्यतन करने के लिए] (पात्रता के लिए निर्देश देखें) (कृपया आयकर नियम, 1962 का नियम 12कग देखें)
-------------	---

## भाग क साधारण जानकारी - 139(8क)

(क1) पैन	(क2) नाम	(क3) आधार संख्या (12 अंक)

(क4) निर्धारण वर्ष ( )	(क5) क्या इस निर्धारण वर्ष के लिए पहले विवरणी फाइल की गई थी? <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	(क6) यदि हाँ, क्या धारा 139(1) के अधीन फाइल किया गया है <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> अन्य
---------------------------	--	---

(क7) यदि लागू हो, तो फाइल प्ररूप दर्ज करें, पावती संख्या या रसीद संख्या और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख (दिन/माह/वर्ष)	(कृपया ड्रॉपडाउन से आईटीआर प्रकार चुनें)	पाव.सं. और फाइल करने की तारीख	/ /

(क8) क्या आप धारा 139(8क) के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे परंतुक में अधिकथित शर्तों के अनुसार अद्यतन विवरणी फाइल करने के पात्र हैं?  
 हाँ  नहीं

(क9) कृपया अपनी आय/हानि को अद्यतन करने के लिए आईटीआर प्ररूप चुनें (आईटीआर 1-7 को ड्रॉप-डाउन से चुना जाना चाहिए और ई-फाइलिंग उपयोगिता द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार भरा जाना चाहिए - निर्देश देखें)

(क10) आपकी आय को अद्यतन करने के कारण:

- विवरणी पहले फाइल नहीं किया गया
- आय की सही सूचना नहीं दी गई
- हानि सह रूप से नहीं रिपोर्ट की गई (हानि की कमी के मामले में)
- आय के गलत शीर्ष चुने गए
- अग्रेषित हानि में कमी
- शेष अवक्षयण में कमी
- धारा 115अख/115 जग के अधीन प्रतिदेय कर में कमी
- कर की गलत दर
- धारा 148 के अधीन नोटिस क लिए प्रतिउत्तर में विवरणी

यदि दाखिल की गई है, धारा 148 के अधीन नोटिस के लिए प्रतिउत्तर दस्तावेज पहचान सं. (डीआईएन) और ऐसी सूचना की तारीख प्रविष्ट करें

ऐसी सूचना की तारीख (ता/मा/वर्ष)  
दस्तावेज पहचान सं.

अन्य

(क11) क्या आप सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से 12 महीने तक सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से  12 से 24 महीनों के बीच की अवधि के दौरान अद्यतन विवरणी फाइल कर रहे हैं  सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 24 से 36 माह के बीच  सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 36 से 48 माह के बीच

(क12) (क) क्या आप अग्रेषित हानि या शेष अवक्षयण या प्रतिदेय कर को कम करने के लिए अद्यतन विवरणी फाइल कर रहे हैं?  
 हाँ  नहीं

(ख) यदि हां, तो कृपया निर्धारण वर्ष निर्दिष्ट करें जहां इस अद्यतन विवरणी के कारण अग्रेषित हानि या शेष अवक्षयण या प्रतिदेय कर प्रभावित हो रहा है। (कृपया ड्रॉपडाउन मेन्यू से चयन करें)

क्या उपरोक्त (ख) में निर्धारण वर्ष के लिए मूल/पुनरीक्षित विवरणी फाइल की गई है  हाँ  नहीं

क्या उपरोक्त (ख) में निर्धारण वर्ष के लिए अद्यतन विवरणी फाइल की गई है  हाँ  नहीं

भाग ख - कुल अद्यतन आय और देय कर की अति संगणना			
1.	क	आय/हानि में कमी का एक शीर्ष जिसके अधीन अद्यतन विवरणी राशि के अनुसार रुपये में अतिरिक्त आय लौटाई जा रही है	रूपए में रकम
		आय का शीर्ष (यदि हॉ, तो कृपया अतिरिक्त आय निर्दिष्ट करें)	
	क.	वेतन से आय	
	ख.	गृह संपत्ति से आय	
	ग.	व्यापार या वृत्तिक से आय	
	घ.	पूँजीगत लाभ से आय	
	ङ.	अन्य स्रोतों से आय	
	च.	कुल अतिरिक्त आय/हानि में कमी (क+ख+ग+घ+ङ.)	
	ख.	पिछले वैध विवरणी के अनुसार कुल आय/हानि (केवल उन मामलों में जहां आयकर विवरणी पहले फाइल किया गया है)	
2.		भाग ख-टीआई के अनुसार कुल अद्यतन आय आयकर विवरणी 2/3/5/6/7 या भाग ग आ.क.वि - 1/4 (यथा लागू) की कटौती और कर योग्य कुल आय	
3.		देय राशि, यदि कोई हो (अद्यतन आईटीआर के 2/3/5/6/7 या भाग घ अद्यतन आई.टी.आर-1 को संदेय कर की संगणना या भाग घ अद्यतन आई.टी.आर-1 (यथा लागू) के कर संगणना और कर प्रास्थिति (कृपया अनुदेश देखें)	
4.		वापसी योग्य राशि, यदि कोई हो (अद्यतन किए गए आईटीआर 2/3/5/6/7 या भाग घ अद्यतन आ.क.वि.-1 के संदेय कर की संगणना या भाग घ अद्यतन आ.क.वि.4 (यथा लागू) की कर संगणना और कर प्रास्थिति के भाग ख-टीआई के " प्रतिदाय " से ली जाए)	
5.		अंतिम वैध विवरणी के आधार पर देय राशि (केवल लागू मामलों में)	
6.		(i) पिछले वैध विवरणी के अनुसार दावा किया गया प्रतिदाय, यदि कोई हो	
		(ii) पिछले वैध विवरणी के अनुसार जारी किया गया कुल प्रतिदाय, यदि कोई हो (इस राशि में प्राप्त ब्याज धारा 244क के अधीन सम्मिलित होना चाहिए) (कृपया निर्देश देखें)	
7.		पहले विवरणी के अनुसार धारा 234च के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने में चूक के लिए शुल्क	
8.		नियमित निर्धारण कर (लागू मामले में) (कृपया उस संदेय कर का उल्लेख करें जो क्रम सं. 5 में घोषित संदेय कर के अधिक है और उपर है)	
9.		अतिरिक्त आय पर सकल देयता	
		(i) $[3+6ii-(5+8+4)]$ प्रतिदाय जारी की गई है	
		(ii) $[3+6i-(5+8+4)]$ प्रतिदाय जारी नहीं किया गया है	
10.		अद्यतन आय पर अतिरिक्त आयकर देयता [(9-7) का 25% या 50% या 60% या 70%] अथवा ऐसी अद्यतन आय जहां विवरणी धारा 148 के अधीन जारी सूचना के प्रतिउत्तर में फाइल की जाती है पर अतिरिक्त आयकर देयता [ (9-7) का 35% या 60% या 70% या 80%]	
11.		देय शुद्ध रकम (9+10)	
12.		140ख के अधीन संदेय कर	
13.		देय कर (11-12)	
14.		कर संदाय (केवल अद्यतन विवरणी के अनुसार)	
	क	धारा 140ख के अधीन अद्यतन विवरणी पर कर के भुगतान का विवरण	

140ख के अधीन कर	क्र.सं.	बीएसआर कोड	जमा करने की तारीख (दिन/माह/वर्ष)	चालान रकम की क्रम संख्या	रकम(रु.)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	i				
	ii				
	iii				
	iv				
टिप्पण ► भाग ख-अति के क्र. सं. 11 पर धारा 140ख के अधीन संदेय कर का योग					
ख	अग्रिम कर/स्व-निर्धारण कर/नियमित निर्धारण कर के भुगतान का विवरण, जिसके लिए जमा नहीं किया गया है पहले के विवरणी में दावा किया गया है (उसके लिए धारा 140ख(2) के अधीन प्रतिदेय की अनुमति नहीं है)				
अग्रिम/स्व-मूल्यांकन/नियमित निर्धारण कर	क्र.सं.	बीएसआर कोड	जमा करने की तारीख (दिन/माह/वर्ष)	चालान राशि की क्रम संख्या	रकम(रु.)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	i				
	ii				
	iii				
	iv				
टिप्पण ► धारा 140ख(2) के अधीन उपरोक्त के लिए प्रतिदेय की अनुमति नहीं है					
15. धारा 89के अधीन राहत जिसका दावा पहले विवरणी में नहीं किया गया है [उसके लिए धारा 140 ख (2) के अधीन राहत की अनुमति नहीं है]					रुपए

## सत्यापन

मैं, _____ पुत्र/पुत्री _____ सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, विवरणी में दी गई जानकारी सही और पूर्ण है और आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार है। मैं आगे घोषणा करता हूँ कि मैं हूँ इस विवरणी को _____ (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान करने के लिए डाउन लोड) के रूप में अपनी क्षमता में बना रहा हूँ और मैं इस विवरणी को बनाने और इसे सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूँ। मेरे पास स्थायी खाता संख्या है। (कृपया निर्देश देखें)। तारीख: _____ हस्ताक्षर: _____
---

[अधिसूचना सं 52/2026/ फा.सं.370142/13/2026-टीपीएल]

प्रदीप शर्मा, उप सचिव, कर नीति और विधायन

**टिप्पण :** मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) अधिसूचना संख्या का0आ0 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 232 (अ), तारीख 30 मार्च, 2026 द्वारा किया गया।

**MINISTRY OF FINANCE**  
**(Department of Revenue)**  
**(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th March, 2026

**G.S.R. 233(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (8A) of section 139 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend Income-tax Rules, 1962, namely:-

- (1) These rules may be called the Income-tax (Ninth Amendment) Rules, 2026.
- (2) They shall come into force with effect from the date of publication.
- In the Income-tax Rules, 1962, in Appendix-II, after the ITR-A, the following Form ITR-U (ITR for updated return) shall be inserted, namely: —

<b>FORM</b>	<b>ITR - U</b>	<b>INDIAN INCOME TAX UPDATED RETURN</b>
		<b>[For persons to update income/reduce loss within forty-eight months from the end of the relevant assessment year]</b> (Refer instructions for eligibility) (Please see rule 12AC of the Income-tax Rules, 1962)

PART A GENERAL INFORMATION – 139(8A)													
(A1) PAN												(A2) Name	(A3) Aadhaar Number (12 digits)
(A4) Assessment Year				(A5) whether return previously filed for this assessment year? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No				(A6) If yes, Whether filed u/s <input type="checkbox"/> 139(1) <input type="checkbox"/> Others					
(A7) If applicable, enter form filed, Acknowledgement no. or Receipt No. and Date of filing original return (DD/MM/YYYY)				(Please select ITR type from dropdown)		Ack no and date of filing							/ /
(A8) Are you eligible for filing an updated return as per the conditions laid out in first, second, third and fourth provisos to section 139(8A)? Yes No													
(A9) Please choose the ITR form for updating your income/losses (ITRs 1-7 to be selected from drop-down and filled as per the details made available by e-filing utility – see instruction)													
(A10) Reasons for updating your income: Return previously not filed Income not reported correctly Loss not reported correctly (In case of reduction of loss) Wrong heads of income chosen Reduction of carried forward loss Reduction of unabsorbed depreciation Reduction of tax credit u/s 115JB/115JC Wrong rate of tax Return in response to notice u/s 148 If filed, in response to a notice u/s 148 enter Document Identification Number (DIN) and date of such notice,  Date of such Notice(dd/mm/yyyy) Document Identification Number (DIN)  Others													
(A11) Are you filing the updated return during the period upto 12 months from the end of the relevant assessment year between 12 to 24 months from the end of the relevant assessment year between 24 to 36 months from the end of the relevant assessment year between 36 to 48 months from the end of the relevant assessment year													
(A12) (a) Are you filing the updated return to reduce carried forward loss or unabsorbed depreciation or tax credit? Yes No													
(b) If yes, please specify the assessment years where carried forward loss or unabsorbed depreciation or tax credit is being affected because of this updated return. (Please select from drop down menu)													
Whether Original / revised return has been filed for the AY in (b) above Yes No													
Whether updated return has been filed for the AY in (b) above Yes No													

RT B – ATI COMPUTATION OF TOTAL UPDATED INCOME AND TAX PAYABLE			
1.	A	Head of income under which additional income is being returned / loss is being reduced as per Updated Return	Amount
		Head of income (If yes, please specify additional income/reduction in loss)	
	a	Income from Salary	
	b	Income from House Property	
	c	Income from Business or Profession	
	d	Income from Capital gains	
	e	Income from other Sources	
	f	Total additional income/reduction in loss (a+b+c+d+e)	
	B	Total income/loss as per last valid return (only in cases where the Income Tax Return has previously been filed)	
2.		Total income/loss as per Part B-TI	
3.		Amount payable, if any (To be taken from “Amount payable” of part BTI of the updated return)	
4.		Amount refundable, if any (To be taken from “Refund” of part B-TTI of the updated return)	
5.		Amount payable on the basis of last valid return (only in applicable cases)	

6.	(i) Refund claimed as per last valid return, if any				
	(ii) Total Refund issued as per last valid return, if any (including interest u/s 244A received)				
7.	Fee for default in furnishing return of income u/s 234F				
8.	Regular Assessment Tax, if any (in applicable cases) [Please mention the tax paid if any which is over and above the tax payable declared in sl.no.5]				
9.	Aggregate liability on additional income,				
	(i) in case refund has been issued [3 + 6ii- (5 + 8 + 4)]				
	(ii) in case refund has not been issued [3 + 6i – (5+8 + 4 )]				
10.	Additional income-tax liability on updated income [25% or 50% or 60% or 70% of (9-7)] or Additional income-tax liability on updated income where return is filed in response to notice issued u/s 148 [35% or 60% or 70% or 80% of (9-7)]				
11.	Net amount payable (9+10)				
12.	Tax paid u/s 140B				
13.	Tax due (11-12)				
14.	<b>TAX PAYMENTS (ONLY as per Updated Return)</b>				
A	<b>Details of payments of tax on updated return u/s 140B</b>				
TAX PAID U/S 140B	Sl No	BSR Code	Date of Deposit (DD/MM/YYYY)	Serial Number of Challan	Amount (Rs)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	i				
	ii				
	iii				
	iv				
	<b>NOTE ►</b> Enter the totals of tax paid u/s 140B at Sl. No.11 of Part B-ATI				

	<b>TAX PAYMENTS</b>				
B	<b>Details of payments of Advance Tax / Self-Assessment Tax / Regular Assessment Tax, credit for which has not been claimed in the earlier return (credit for the same is not to be allowed again under section 140B(2) )</b>				
ADVANCE/SELF ASSESSMENT/ REGULAR ASSESSMENT TAX	Sl No	BSR Code	Date of Deposit (DD/MM/YYYY)	Serial Number of Challan	Amount (Rs)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	i				
	ii				
	iii				
	iv				
	<b>NOTE ►</b> Credit for above is not to be allowed again under section 140B(2)				

15. Relief u/s 89 which is not claimed in earlier return [relief for the same is not to be allowed under section 140B(2)]	Rs.
---	-----

**VERIFICATION**

I, _____ son/ daughter of solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return is correct and complete and is in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961. I further declare that I am making this return in my capacity as _____ (drop down to be provided in e-filing utility) and I am also competent to make this return and verify it. I am holding permanent account number.(Please see instruction).
<b>Date:</b> _____ <b>Signature:™</b> _____

[Notification No. 52/2026/F.No. 370142/13/2026-TPL]

PRADEEP SHARMA, Dy. Secy., Tax Policy and Legislation

**Note.-** The Income-tax Rules, 1962 rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section(ii) vide number S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and was last amended vide notification GSR 232 (E), dated the 30th March, 2026